न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 178/2019

सरकार बनाम 1. महेन्द्र कुमार, जगदीश प्रसाद वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नि... 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–.24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **तेमावास** के मूल खसरा नं 217/1 रकवा 351 वीघा 5 बिस्वा में से कुछ खातेदारो द्वारा अपना हिस्सा 90 बी. दर्ज करवाने पर खसरा न. 511/1, 515/1 व 217/1 रकवा क्रमशः 6–14, 212–06 व 132–05 दर्ज हुए जो वर्तमान वर्तमान जमाबन्दी अनुसार है। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में खसरा की तरमीम नहीं की हुई है। एवं 90 बी के नामान्तरकण में भी तरमीम अक्ष दर्शाया नहीं गया है। मौके पर रेकर्ड अनुसार अलग से कब्जा स्पष्ट नहीं है।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्वि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner